पुलिस बल में पांच हजार नई भर्ती की जाएगी

भोपाल। ब्यूरो। प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए चौथे चरण में पांच हजार नई भर्तियां होंगी। इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को आगे तीन साल जारी करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं, सहकारी अधिनियम और निकाय चुनाव में टॉयलेट अनिवार्य करने संबंधी संशोधन विधेयक को भी मंजूर किया गया। ये दोनों प्रस्ताव अब विधानसभा में प्रस्तुत होंगे। गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस समेकित बलवृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके तहत प्रदेश में सिपाही से लेकर अलग-अलग संवर्ग के पांच हजार पदों पर भर्ती होगी। बैठक में एनटीपीसी लिमिटेड को खरगोन में 1200 मेगावॉट की बिजली परियोजना के लिए रेल लाइन डालने 28 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन 3 करोड़ 27 लाख रुपए लेकर देने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा कैबिनेट ने सहकारी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे नागरिक सहकारी बैंकों सहित अन्य संस्थाओं को कामकाज करने में पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। इसके साथ ही महापौर से लेकर पार्षद चुनाव में टॉयलेट की अनिवार्य को लागू करने का फैसला किया है।

चिटनीस ने की तारीफ

महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रावध्ाान से सहकारी संस्थाओं को अपना व्यवसाय विस्तार करने में मदद मिलेगी। साथ ही निवेशकों को अपने निवेश की गारंटी भी मिलेगी।